

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिसार।

सेवा में

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वरदास
निवासी वार्ड नं० 11, अनाज मण्डी सफीदों।
2. वरुण कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार।
3. अरुण कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार।
4. गुडडी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार।
5. प्रवीण कुमार पुत्र श्री हरिराम
निवासी सै० नं० 15, मकान नं० 1178,
फरीदाबाद।

यादि क्रमांक: 1114

दिनांक: 17.4.15

विषय:-

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे- राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वरदास, वरुण कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, अरुण कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, गुडडी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, प्रवीण कुमार पुत्र श्री हरिराम (रघुपति एजुकेशन सोसायटी,) गांव आफतावगढ़, त० सफीदों, जिला जीन्द।

हवाला:-

जिला नगर योजनाकार जीन्द के यादि क्रमांक 796 दिनांक 25.3.215 के संदर्भ में।

विषयक सदर्म में अवगत करवाया जाता है कि उपरोक्त हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत जो रिपोर्ट एवं दस्तावेजों इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, में दिए विवरण अनुसार बाका मौजा गांव आफतावगढ़, त० सफीदों, जिला जीन्द, के खसरा नं० 26/ /6/1, 6/2, 7.8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 12.13/1, 13/2/1, 13/2/2, 13/3, 27/ /10 (51कनाल 10 मरले) में आप द्वारा स्कूल लगाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्ट्स एवं धाराओं से छूट प्रदान नहीं करता है।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से संबंधित नियम एवं कानून लागू होंगे।
3. विकास शुल्क एवं अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर--2 देय होगी।
4. फायर विभाग, हरियाणा से नियमानुसार फायर सैफटी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किए जाने की हालत में ये अनापत्ति प्रमाण पत्र आने आप रद्द हो जाएगा।

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल हिसार।

पृ०क०:

दिनांक:

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना, विभाग, हरियाणा, वण्डीगढ़।
2. जिला नगर योजनाकार, जीन्द, को हवालाधीन पत्र के संदर्भ में।

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल हिसार।